न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री बी0आर0 विश्नोई आर.ए.एस.)

मिसल नं0 480/प्रार्थना–पत्र/2016
दायरा 30/11/2016

उनवान

1. घांसीलाल पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी देवपुरा तह0 खानपुर
2. रूपचंद पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी देवपुरा तह0 खानपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. रामभरोस पुत्र डालू जाति चमार निवासी गोल्याखेड़ी तह0 खानपुर
2. लटूरी पुत्री डालू जाति चमार निवासी गोल्याखेड़ी तह0 खानपुर
3. नटी पुत्री डालू जाति चमार निवासी गोल्याखेड़ी तह0 खानपुर
4. भूली पुत्री डालू जाति चमार निवासी गोल्याखेड़ी तह0 खानपुर
5. औंकारीबाई पत्नि डालू जाति चमार निवासी गोल्याखेड़ी तह0 खानपुर
6. सुमित्राबाई पत्नि घनश्याम जाति मीणा निवासी गोल्याखेड़ी तह0 खानपुर
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार सा0 तह0 खानपुर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री अनिल मेहता अधिवक्ता – प्रति0 1 लगा0 6

निर्णय

दिनांक 17/04/2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गोल्याखेड़ी तह0 खानपुर में आराजी ख0नं0 422 की 21.12 बीघा आराजी प्रार्थीगण घांसीलाल, रूपचंद, कांतिबाई के खाते की है। खातेदार कांतिबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारीस प्रार्थीगण हैं नकल जमाबंदी सं0 2070–73 प्रस्तुत है। प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर हल, कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर–ट्राली आदि लाने–ले जाने के लिये ग्राम गोल्याखेड़ी की ख0नं0 416/492 व ख0नं0 450/493 के बीच की मेड़ का उपयोग पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से करते आ रहे हैं। ग्राम गोल्याखेड़ी की आराजी ख0नं0 416/492 रकबा 3.10 बीघा अप्रार्थीगण 1 लगा0 5 के खाते व कब्जे काश्त की है। इसी प्रकार ग्राम गोल्याखेड़ी की आराजी ख0नं0 450/493 रकबा 6.00 बीघा अप्रार्थीया नं0 6 सुमित्राबाई के खाते व कब्जे काश्त की है। ग्राम चांदखेड़ी से बारापाटी जंगल में जाने के लिये ग्रेवल रास्ता है। इस रास्ते के उत्तर में आराजी ख0नं0 416/492 व 450/493 स्थित है। प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर हल, कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर–ट्राली आदि ग्राम गोल्याखेड़ी की ख0नं0 416/492 व 450/493 के बीच की मेड़ पर होकर लाते ले जाते रहे हैं। इन दोनों खेतों की बीच की मेड़ के रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ख0नं0 416/492 व 450/493 के बीच की मेड़ में से प्रार्थीगण को रास्ता मिलना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थी नं0 6 ने रास्ते में पत्थर का कोट करके रास्ते को रोकने से, अप्रार्थीगण 1 लगा0 5 का भी रास्ता रोकने से प्रार्थीगण के खेत पड़त रहने की स्थिति में है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण दि0 14.11.2016 को ट्रेक्टर लेकर अपने खेत पर गये तो अप्रार्थीगण ने कहा कि रास्ता दोनों के बीच की मेड़ पर होकर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

है। इस रास्ते को नपवाकर निकलो। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी पर आने जाने, हल, कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर–ट्राली आदि लाने–ले जाने के लिये व कृषि जिंस लाने ले जाने के लिये ख0नं0 416/492 की दक्षिणी–पूर्वी मेड़ से उत्तरी–पूर्वी मेड तक 7 फिट चौड़ा व 280 फिट रास्ता तथा ख0नं0 450/493 की दक्षिणी–पश्चिमी मेड़ से उत्तरी–पश्चिमी मेड़ तक 7 फिट चौड़ व 280 फिट लम्बा रास्ता चाहते हैं, जिसका रकबा 5 बिस्वा के लगभग होगा। प्रार्थीगण इस आराजी की कीमत डी.एल.सी. रेट से अप्रार्थीगण 1 लगा0 6 को अदा करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने, हल, कूली, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्रेक्टर–ट्राली व कृषि की पैदावार को लाने ले जाने के लिये ग्राम गोल्याखेड़ी की ख0नं0 416/492 की पश्चिमी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ा व 280 फिट रास्ता तथा ख0नं0 450/493 में पूर्वी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ व 280 फिट लम्बा रास्ता चिन्हित किया जावे। इस रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में किया जावे और अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वो भी प्रार्थीगण को दिलाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 06.03.2017 को पक्षकारान ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है कि " वादीगण का अपने खाते की आराजी ख0नं0 422 रकबा 21 बीघा 22 बिस्वा वाके ग्राम गोल्याखेड़ी पर आने जाने का रास्ता ग्राम चांदखेड़ी से बारापाटी जंगल में जाने वाले रास्ते में होकर प्रतिवादीगण के खाते की आराजी 416/492 व 450/493 में के बीच की मेड़ पर होकर है। वादीगण को अपने खाते की आराजी पर हल, कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली आदि को लाने ले जाने के लिये ख0नं0416/492 में दक्षिणी–पूर्वी मेड़ से उत्तरी–पूर्वी मेड़ तक 7 फिट चौड़ा व 280 फिट लम्बा रास्ता व ख0नं0 450/493 में पूर्वी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ा व 280 फिट लम्बा रास्ता चिन्हित किया जावे। इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा पेश है। " उक्त राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम गोल्याखेड़ी में ख0नं0 422 की 21.12 बीघा आराजी प्रार्थीगण के खाते की है। जिस पर हल, कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर–ट्राली आदि लाने–ले जाने के लिये ग्राम गोल्याखेड़ी की ख0नं0 416/492 व ख0नं0 450/493 के बीच की मेड़ का उपयोग पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से करते आ रहे हैं। यह अप्रार्थीगण 1 लगा0 6 के खाते व कब्जे काश्त की है। इस रास्ते के अलावा हमारी आराजी पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ख0नं0416/492 में दक्षिणी–पूर्वी मेड़ से उत्तरी–पूर्वी मेड तक 7 फिट चौडा व 280 फिट लम्बा रास्ता व ख0नं0 450/493 में पूर्वी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ा व 280 फिट लम्बा रास्ता चिन्हित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण ने हमारे प्रार्थना पत्र से सहमति प्रकट करते हुये दिनांक 06.03.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर दिया है। अतः उक्त राजीनामें के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका एवं रेकार्ड में रास्ता कायम किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रकट किया है कि हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से सहमति प्रकट करते हुये राजीनामा पेश कर दिया है। अतः राजीनामें के अनुसार इस प्रकरण को निर्णित कर दिया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण ने अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम गोल्याखेड़ी की ख0नं0 422 रकबा 21.12 बीघा पर आने जाने, हल, कूली, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्रेक्टर–ट्राली व कृषि की पैदावार को लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी 1 लगा0 5 के खाते की ग्राम गोल्याखेड़ी की ख0नं0 416/492 की पश्चिमी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ा व 280 फिट रास्ता तथा अप्रार्थी नं0 6 के खाते की ख0नं0 450/493 में पूर्वी दिशा की तरफ 7 फिट चौड व 280 फिट लम्बा रास्ता चाहने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। दिनांक 06.03.2017 को पक्षकारान ने मय अधिवक्ताओं के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है कि " वादीगण का अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 21 बीघा 22 बिस्वा वाके ग्राम गोल्याखेड़ी पर आने जाने का रास्ता ग्राम चांदखेड़ी से बारापाटी जंगल में जाने वाले रास्ते में होकर प्रतिवादीगण के खाते की आराजी 416/492 व 450/493 मे के बीच की मेड पर होकर है। वादीगण को अपने खाते की आराजी पर हल कूली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली आदि को लाने ले जाने के लिये खसरा नम्बर 416/492 में की दक्षिणी पूर्वी मेड से उत्तरी पूर्वी मेड तक 7 फिट चौड़ा व 280 फिट लम्बा रास्ता व ख0नं0 450/493 में पूर्वी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ा व 280 फिट लम्बा रास्ता चिन्हित किया जावे। इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा पेश है। " इस प्रकार अप्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को उनकी आराजी 422 रकबा 21.22 बीघा पर आने जाने का रास्ता देने पर पूर्ण रूप से सहमत हैं। ऐसे में लोक अदालत की भावना को दृष्टिगत रखते हुये इस प्रकरण का निर्णय राजीनामा के अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की आराजी ख0 नं0 422 रकबा 21.22 बीघा ग्राम गोल्याखेड़ी पर आने जाने के लिये ग्राम चांदखेड़ी से बारापाटी जंगल में जाने वाले रास्ते में होकर आने जाने, हल, कूली, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्रेक्टर–ट्राली व कृषि की पैदावार को लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी 1 लगा0 5 के खाते की ग्राम गोल्याखेड़ी की ख0नं0 416/492 की पश्चिमी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ा व 280 फिट लम्बा रास्ता तथा अप्रार्थी नं0 6 के खाते की ख0नं0 450/493 में पूर्वी दिशा की तरफ 7 फिट चौड़ व 280 फिट लम्बा रास्ता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में इसका अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner